

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

4. दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II] तारीख 24-04-2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मचारियों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय, और उपलब्ध नहीं करवाई गई संयुक्त आवास, सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

कुशल :

हेल्पर / शॉप-ऐसिस्टेंट / पल्लेदार / चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालाची / गेटमैन / वाटरमैन क्लीनर / पैकर / मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर / मैसेंजर / क्लैकरोम अटेंडेन्ट / पोर्टर / भिश्ती / बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो अकुशल कार्य कर रहा हो ।

रु० 400 प्रतिदिन
रुपए 12000 मासिक

रुपए 371 प्रतिदिन
रुपए 11,130 मासिक

अर्धकुशल :

हैडपोर्टर / पेंटरमैन / काफी टीमेकर / चपातीमैन / सहायक-बेकर / गेट-कीपर (सिनेमा) / सहायक लाइनमैन / सहायक-आपरेटर / वाइंडर एसीस्टेंट / बिल-कलैक्टर / कनवैसर / कुक / असिस्टेंट-हलवाई / बुक-बाइंडर / स्टीचर रूलिंग-कटिंग औक्शनर / माली / सीवरमैन / होटल-गाइड सहायक मिस्त्री / सहायक-फिटर / सहायक-टर्नर / सहायक / वैल्डर सहायक-इलैक्ट्रिशियन / सहायक-वैल्डर / सहायक-सेल्जमैन / सहायक-बारबर / धोबी / प्रैसमैन / बॉयलर-मैन / फिल्म-रिवाइंडर / वेटर / वेयरर / ऐसिस्टेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर / व्हाइट वॉशर / पकौड़ा और चना मेकर / कलर्क / (नॉन मेट्रिक / सहायक स्टोर कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर व सहायक-मशीनमैन / इनक्वायरी अटेंडेन्ट / टेलीफोन अटेंडेन्ट / आई.टी.आई प्रमाण पत्र सर्तफिकेट धारक ।

रु० 423 प्रतिदिन तथा रु० 12690 प्रतिमाह
रु० 413 प्रतिदिन तथा रु० 12390 प्रतिमाह

कुशल:

ब्लैक स्मिथ / टिनस्मिथ / वाचमेकर / रेडियो मकैनिक / कारपेंटर / पलम्बर / ड्राइवर / सहायक टेलर / कटर (टेलरिंग) / स्टुवार्ड / जनरल मकैनिक / हलवाई कुक / कन्फैक्शनर बेकर / बटलर / फिटर / ड्राफ्टसमैन / टेलीफोन-ओपरेटर / कम्पाउंडर / गोल्डस्मिथ / शू-मेकर / शाल कारपेन्टर वीविंग / कम्पोजिटर / सिनेमा आपरेटर / सेल्जमैन / ड्राइक्लीनर / ड्रायर / बारबर / रेगुलर मशीनमैन / मशीनिस्ट / वेल्डर / मोल्डर / कैशियर / क्लर्क (मैट्रिकुलेट) / मुनीम / रिसैपशनिस्ट / वेटर / वियरर स्टोर-कीपर / हैड वेटर / हैड-वेयरर (वेस्टरन स्टाइल होटल) / लाइनमैन आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र धारक, जो इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों ।	रु० 464 प्रतिदिन रु०13920 मासिक	रुपए 427 प्रतिदिन रुपए 12810 मासिक
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / लेखाकार मुख्य खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर / हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग) ।	रु० 483 प्रतिदिन रु०14490 मासिक	रु० 447 प्रतिदिन रु० 13410 मासिक
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल / अर्द्ध-कुशल / कुशल / उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्द्ध-कुशल:** अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल:** कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—

(प्रियंका बासु ईगटी),

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Shops & Commercial Establishments**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024 as under:—**

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
<p>Un skilled Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalchi/ Gateman/ Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoor/ Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Porter/ Bhishit/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other worker doing unskilled job.</p>	<p>Rupees Rs.400 Daily Rs.12000 Monthly.</p>	<p>Rupees Rs. 371 Daily Rs. 11,130 Monthly</p>
<p>Semi-Skilled Head porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/ Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman / Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector /Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher/ Rulling-cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/ Hotel Guide/ Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Assistant Turner/ Assistant/Welder/ Assistant Electrician/ Assistant/Salesman/ Assistant Barbar/ Dhobi/ Pressman/Boilerman/ Film Rewinder/ Waiter/ Bearer/ Assistant Radio Machanic/Painter/ WhiteWasher/Pakora and Chanamaker/Clerk (Non-matric/ Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machine man/ Enquiry Attendent/ Telephone Attendent/ ITI Certificate Holder.</p>	<p>Rupees Rs.423 Daily. Rs. 12,690 Monthly.</p>	<p>Rupees Rs. 413 Daily Rs. 12,390 Monthly</p>
<p>Skilled: Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio Mechanic/ Carpenter/Plumber/Driver/Assistant Tailor/Cutter (Tailoring)/General mechanic/Halwai/Cook/ Confectioner/Baker/Steward/Butler/Fitter/ Draughtsman/ Telephone Operator/Compounder/ Goldsmith./Shoe Maker/Shawl-CarpetWeaving/ Compositor/Cinema Operator/Salesmen/Drycleaner/Dyer/Barber/Regular machine man/machinist/ Welder/ Moulder/ Cashier/Clerk/(Matric)Munim/receptionist/Waiter/ Bearer/Storekeeper/ Headwaiter /Head bearer (Western Style Hotels)/Lineman ITI certificate holder who are working in the same trade.</p>	<p>Rupees. Rs.464 Daily. Rs.13,920 Monthly.</p>	<p>Rupees. Rs. 427 Daily Rs. 12,810 Monthly.</p>
<p>Highly Skilled Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head Mechanic/ Electrician/ Foremen/ Supervisor/ Tailor/Cutter (Tailoring).</p>	<p>Rupees. Rs.483 Daily. Rs.14,490 Monthly</p>	<p>Rupees. Rs. 447 daily Rs. 13,410 Monthly</p>

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).

3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) **Unskilled.**— An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

5. वानिकी उद्योग

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II, तारीख 24-04-2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।